क्रमांक 1629-ज(II)-77/24632.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल निम्नलिखित व्यक्तियों को वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर उनके सामने दी गई फ़सल तथा राशि एवं सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं :—

क्रमांक	जिला	जागीर पाने वाले का नाम	गांव व पता	तहसील	फ़सल/वर्ष जब से जागीर दी गई	वार्षिक राशि
1	2	3	4	5	6	7
						रु०
1	जीन्द	श्री नत्थू राम, पुत्र श्री कुरड़ा	मलार	सफीदों	रबी, 1973 से	150
2	,,	श्री मोलड़ राम, पुत्र श्री मंगत राम	राजोंद	जीन्द	रबी, 1973 से	150
3	,,	श्री पृथ्वी सिंह, पुत्र श्री जोगी राम	कालवा	सफीदों	रबी, 1975 से	150

क्रमांक 1514-ज(I)-77/24739.—श्री दीदारो सिंह, पुत्र श्री वख्तावर सिंह, गांव सै, तहसील व जिला भिवानी की दिनांक 5 मार्च, 1975 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए) (1) तथा 3(1) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहर्ष आदेश देते हैं, कि श्री दीदारो सिंह को मुल्लिक 100 रु० वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1562-आर(3)-69/16010, दिनांक 28 जून, 1969 द्वारा मंजूर की गई थी तथा बाद में अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा खरीफ़, 1970 से 150 रुपये वार्षिक बढ़ा दी गई थी, अब उस की विधवा श्रीमती भोर बाई के नाम खरीफ़, 1975 से 150 रु० वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील की जाती है।

क्रमांक 1449-ज(I)-77/24743.—श्री शंकर राम, पुत्र श्री बंसी राम, गांव गरोली, तहसील नारायणगढ़, जिला अम्बाला को मुल्लग 150 रुपये वार्षिक की जंगी जागीर जो उसे हरियाणा सरकार के राजस्व विभाग की युद्ध जागीर अधिसूचना क्रमांक 5953 आर (4)-67/4635, दिनांक 5 दिसम्बर, 1967 तथा 5041-आर(III)-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा मन्जूर की गई थी, खरीफ, 1972 से मन्सूख की जाती है।

दिनांक 3 अक्तूबर, 1977

क्रमांक 1496-ज(I)-77/24895.—श्री गुगन राम, पुत्र श्री सपा राम, गांव मिरान, तहसील व जिला भिवानी की दिनांक 1 सितम्बर, 1974 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए)(1) तथा 3(1) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहर्ष आदेश देते हैं, कि श्री गुगन राम को मुल्लिग 150 रुपये वार्षिक की जागीर, जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 8131-आर(4)-67/481, दिनांक 1 फ़रवरी, 1968 तथा अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा मन्जूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती मोहरां के नाम रबी, 1975 से 150 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील की जाती है।

यशवन्त कुमार जैन,

विशेष कार्य अधिकारी, हरियाणा सरकार,
राजस्व विभाग।